न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेही घाट, कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–14/2012

राम प्रकाश बनाम धुनई आदि

14.02.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र क–58 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 2 सहजराम का देहान्त दिनांक 18.01.2015 को हो गया है तथा उनके जायज वारिस व कायम मुकामान उनकी विधवा रामरती, तथा चार पुत्र स्वामीदीन उर्फ बब्लू, शिवकेश, शिवदास, सरोज व तीन पुत्रियां संगीता, सिंधा व सुमन हैं। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित आधारों पर वाद पत्र में संशोधन चाहा गया है।

प्रतिवादी की ओर से आपत्ति ग–65 प्रस्तुत कर आपत्ति की गयी है कि प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप नहीं है तथा प्रार्थना पत्र गलत, त्रुटिपूर्ण व जनरल रूल सिविल के विपरीत है। अतः निरस्त किया जाए।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादी संख्या 2 सहजराम का देहान्त दिनांक 18.01.2015 को होना कहा गया है। कथन के समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। अतः वारिसान प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

वारिसान प्रार्थना पत्र क–58 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार संशोधन अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26.03.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
कोर्ट नं० 14, बाराबंकी